www.ssgcp.com
shop.ssgcp.com
ssgcp.in
sarkariresultnews.in
ssghatnachakra
ssgc.gs.qa
Ssgcpssgcp
SamsamyikGhatna

सम-सामयिक
घटना चक्र
अतिरिक्तांक

2019

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

द्वारा आयोजित **ए.पी.ओ.**

परीक्षा हेतु उपयोगी

11

प्रिलिम्स पावर

अध्ययन सामग्री एवं प्रश्नकोश

पुलिस अधिनियम, 1861 एवं उ.प्र. पुलिस विनियम

(Police Act, 1861 & U.P. Police Regulation)

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	**सामान्य परिचय**	**05**
2.	**भाग I अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य**	**05-09**
अध्याय 1	वरिष्ठ अधिकारीगण (पैरा 1-17 क)	05-06
अध्याय 2	रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व उपनिरीक्षक (पैरा 18-24)	06
अध्याय 3	लोक अभियोजक तथा उनके अधीनस्थ (पैरा 25-39)	06
अध्याय 4	क्षेत्र निरीक्षक (पैरा 40-42)	06
अध्याय 5	उपनिरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधिकारी (पैरा 43-64)	06
अध्याय 6	सशस्त्र पुलिस (पैरा 65-72)	07-08
अध्याय 7	सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व (पैरा 73-78)	08
अध्याय 8	घुड़सवार पुलिस (पैरा 79-88)	08
अध्याय 9	ग्राम पुलिस (पैरा 89-96 क)	08-09
3.	**भाग II विशेष कर्त्तव्य**	**09-30**
अध्याय 10	थानों में की गई रिपोर्टें (पैरा 97-103)	09-10
अध्याय 11	अन्वेषण (पैरा 104-128)	10-13
अध्याय 12	मृत्युसमीक्षा, मरणोत्तर शव-परीक्षा तथा घायल व्यक्तियों की चिकित्सा (पैरा 129-146)	13
अध्याय 13	गिरफ्तारी, जमानत तथा अभिरक्षा (पैरा 147-164)	14-16
अध्याय 14	सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा निपटारा (पैरा 165-173)	16-17
अध्याय 15	विशेष अपराध (पैरा 174-185)	17-18
अध्याय 16	अपराधी जनजातियां, विदेशी तथा आवारागर्द (पैरा 186-189)	18
अध्याय 17	गश्तें और घेराबंदिया (पैरा 190-195)	18-19
अध्याय 18	विशेष रक्षक (गारद) तथा अतिरिक्त पुलिस (पैरा 196-214)	19
अध्याय 19	भगोड़े (फरार) अपराधी (पैरा 215-222)	19-20
अध्याय 20	दुश्चरित्रों का पंजीकरण तथा निगरानी (पैरा 223-276)	20-23
अध्याय 21	आदेशिकाओं का निष्पादन (पैरा 277-282)	23

अध्याय 22	अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज (पैरा 283-300)	24-25
अध्याय 23	पुलिस थाने पर रखे गए लेखे (पैरा 301-308)	25-26
अध्याय 24	भारतीय राज्य (पैरा 309-321 निरस्त)	26
अध्याय 25	जन्म-मृत्यु की सूचना देना और उनका पंजीकरण (पैरा 322-327)	26
अध्याय 26	अकाल के समय में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश (पैरा 370-395)	26-27
अध्याय 27	विशेष अधिनियमों तथा नियमों के अधीन कर्त्तव्य (पैरा 338-369)	27-29
अध्याय 28	विविध (पैरा 370-395)	29-30
4.	**भाग III आंतरिक प्रशासन**	31-41
अध्याय 29	नियुक्तियां (पैरा 396-427)	**31-32**
अध्याय 30	पदोन्नतियां (पैरा 428-463)	32-33
अध्याय 31	पुरस्कार (पैरा 464-476)	34-35
अध्याय 32	पुलिस अधिकारियों को विभागीय दण्ड और उनका आपराधिक अभियोजन (पैरा 477-507 क)	35-39
अध्याय 33	अपीलें, पुनरीक्षण, याचिकाएं और शासकीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियां (पैरा 508-519)	39-40
अध्याय 34	स्थानांतरण (पैरा 520-526)	41
5.	**भाग IV प्रशिक्षण**	**41-43**
अध्याय 35	राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों का प्रशिक्षण (पैरा 527-533)	41-42
अध्याय 36	उपनिरीक्षकों का प्रशिक्षण (पैरा 534-538)	42
अध्याय 37	प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों का प्रशिक्षण (पैरा 539-554)	42-43
	परिशिष्टियों का संक्षिप्त विवरण	
6.	**पुलिस अधिनियम, 1861**	43-52
7.	**पुलिस अधिनियम, 1888**	52
8.	**पुलिस (द्वेष उद्दीपन) अधिनियम, 1922**	52
9.	**पुलिस अधिनियम, 1949**	52
10.	**उ.प्र. पुलिस विनियम (महत्वपूर्ण बिंदु)**	53-60
11.	**पुलिस अधिनियम, 1861 (महत्वपूर्ण बिंदु)**	61-65
12.	**सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रा.) परीक्षा का हल प्रश्न पत्र**	66-84
13.	**अभ्यास हेतु हल प्रश्न पत्र**	85-104

उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम

सामान्य परिचय - उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम चार भागों में 37 अध्यायों के अधीन कुल 554 पैरा में समाहित है। भाग I में वरिष्ठ अधिकारीगण (अध्याय 1), रिजर्व निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (अध्याय 2), लोक अभियोजक एवं उनके अधीनस्थ (अध्याय 3), क्षेत्र निरीक्षक (अध्याय 4), उपनिरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी (अध्याय 5), सशस्त्र पुलिस (अध्याय 6), सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व (अध्याय 7), घुड़सवार पुलिस (अध्याय 8), ग्राम पुलिस (अध्याय 9) के बारे में उपबंध किया गया है अर्थात उ. प्र. पुलिस विनियम के भाग I में पुलिस संगठन के बारे में विस्तृत नियमावली उपबंधित है।

इसी प्रकार उ.प्र. पुलिस विनियम के भाग II में पुलिस संगठन के विशेष कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें थानों में की गई रिपोर्ट (अध्याय 10), अन्वेषण (अध्याय 11), मृत्यु समीक्षा, मरणोत्तर शव परीक्षा तथा घायल व्यक्तियों की चिकित्सा (अध्याय 12), गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा (अध्याय 13), सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा निपटारा (अध्याय 14), विशेष अपराध (अध्याय 15), अपराधी जनजातियां, विदेशी तथा आवारागर्द (अध्याय 16), गश्तें और घेराबंदियां (अध्याय 17), विशेष गारद तथा अतिरिक्त पुलिस (अध्याय 18), भगोड़े (फरार) अपराधी (अध्याय 19), दुश्चरित्रों का पंजीकरण तथा निगरानी (अध्याय 20), आदेशिकाओं का निष्पादन (अध्याय 21), अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज (अध्याय 22), पुलिस थाने पर रखे गए लेखे (अध्याय 23), [भारतीय राज्य (अध्याय 24)- निरस्त], जन्म-मरण की सूचना एवं पंजीकरण (अध्याय 25), अकाल के समय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश (अध्याय 26), विशेष अधिनियमों तथा नियमों के अधीन कर्त्तव्य (अध्याय 27) और विविध उपबंधों (अध्याय 28) के बारे में प्रावधान किया गया है।

विनियम का भाग III आंतरिक प्रशासन से संबंधित है जिसके अंतर्गत नियुक्तियां (अध्याय 29), पदोन्नतियां (अध्याय 30), पुरस्कार (अध्याय 31), विभागीय दण्ड एवं आपराधिक अभियोजन (अध्याय 32), अपीलें, पुनरीक्षण, याचिकाएं और शासकीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियां (अध्याय 33) एवं स्थानांतरण (अध्याय 34) के संबंध में नियम विहित किए गए हैं।

इसी प्रकार अंतिम भाग IV के अंतर्गत प्रशिक्षण से संबंधित नियम वर्णित किए गए हैं जिनमें राजपत्रित अधिकारियों व रिजर्व उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण (अध्याय 35), उपनिरीक्षकों का प्रशिक्षण (अध्याय 36) व प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों के प्रशिक्षण (अध्याय 37) के बारे में नियम विहित किए गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विनियम के अंत में पांच परिशिष्टियां भी संलग्न हैं जिनमें पुलिस कार्य-प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रारूपों एवं अंतः प्रशासन से संबंधित दिशा-निर्देश अन्तर्विष्ट हैं।

भाग 1 अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

अध्याय 1 वरिष्ठ अधिकारीगण

महानिदेशक (Inspector General-cum-Director General) - पैरा 1 के अनुसार महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रधान और पुलिस प्रशासन के सभी मामलों पर सपरिषद राज्यपाल का सलाहकार होता है। समस्त आदेश जो पुलिस बल के किसी सदस्य को सपरिषद राज्यपाल की ओर से दिए जाते हैं, उसके द्वारा ही दिए जाते हैं, सिवाय अत्यधिक आवश्यक मामलों के जिनमें आदेश अधीनस्थ अधिकारियों को सीधे भेजे जाते हैं।

इसी प्रकार प्रदेश के मण्डलों (Zone) के अतिरिक्त महानिरीक्षकों/क्षेत्रीय महानिरीक्षकों (पैरा 1-A) और परिक्षेत्रों (Range) के लिए उप महानिरीक्षकों (पैरा 2) की नियुक्ति की जाती है। पैरा 4 में महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस के संबंध में उपबंध किया गया है। आयुक्त (पैरा 5) के अंतर्गत मण्डल के प्रभारी उप आयुक्त अथवा कलेक्टर भी आते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट- पैरा 6 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है और इस हैसियत से पुलिस का नियंत्रण करता है और उसके कार्यों के लिए निदेश देता है। पुलिस अधीक्षक को सभी गंभीर आपराधिक घटनाओं एवं अपराधों में अचानक वृद्धि की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देनी होती है (पैरा 7)। यदि इन दोनों अधिकारियों के बीच शक्ति

प्रयोग में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसे व्यक्तिगत रूप से सुलझाया जायेगा (पैरा 8)। जिला मजिस्ट्रेट को सामान्यतया प्रत्येक पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण करना चाहिए (पैरा 9)।

अपराध पंजिका से किसी अपराध को निकाल देने के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक होती है किंतु रेलवे पुलिस के मामले में उप महानिरीक्षक पुलिस भारसाधक रेल पुलिस की स्वीकृति आवश्यक होती है (पैरा 10)।

पैरा 11 के अनुसार लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन, अभियोजन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने का कार्य पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 के अधीन अधीक्षक या सहायक अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट के अधीन किया जाना चाहिए। ऐसा सामान्यतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश प्राप्त करके किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक - पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है और उसे देखना होता है कि न्यायालय और अन्य सक्षम अधिकारियों के आदेशों का तत्काल पालन किया गया है (पैरा 12)। वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन पैरा 13 के अनुसार करता है। उसे गोपनीय विषयों के सिवाय सभी शासकीय कार्य कार्यालय में करना चाहिए। पैरा 14 गोपनीय ज्ञापन से संबंधित है तथा पैरा 15 हिंदी आदेश पुस्तिका का उपबंध करता है। ऐसी आदेश पुस्तिका उसकी पूर्णता के 45 वर्ष तक रखी जाएगी।

अपराध रजिस्टर - अपराध रजिस्टर अर्थात इंग्लिश अपराध रजिस्टर में सभी संज्ञेय अपराधों, जिनकी पुलिस थानों में रिपोर्ट की गयी है, को दर्ज किया जाता है (पैरा 16)। सहायक तथा उप अधीक्षक पुलिस के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख पैरा 17 में दिया गया है और वरिष्ठ लोक अभियोजक से संबंधित पैरा 17-क को निरस्त कर दिया गया है।

अध्याय 2
रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व उप-निरीक्षक

पैरा 18 से 24 के अंतर्गत रिजर्व (प्रतिसार) निरीक्षक और रिजर्व उप-निरीक्षक के संबंध में उपबंध है। रिजर्व निरीक्षक रिजर्व लाइंस का प्रभारी अधिकारी होता है। रिजर्व लाइंस से अपेक्षित रक्षकों (गार्ड्स) और अनुरक्षकों की ड्यूटी लगाना, उनका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण इसी के द्वारा किया जाता है (पैरा 18)। आरक्षित वस्तुओं का अभिरक्षण (पैरा 19), नये आरक्षियों का प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास (पैरा 20), साप्ताहिक किट निरीक्षण एवं वार्षिक चांदमारी अर्थात फायरिंग (पैरा 21), रक्षकों और संतरियों का निरीक्षण तथा फांसी गार्द को आज्ञा देना (पैरा 22), विशेष अवसरों पर रक्षकों तथा अनुरक्षकों को आदेशित करने (पैरा 23) का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। इस कार्य में रिजर्व उप-निरीक्षक अथवा सूबेदार उसकी सहायता करता है (पैरा 24)।

अध्याय 3 लोक अभियोजक तथा उनके अधीनस्थ

पैरा 25 से 39 लोक अभियोजक तथा उनके अधीनस्थ से संबंधित है, जिसके पैरा 25 से 38 को निरस्त कर दिया गया है। वस्तुतः अभियोजन शाखा को, जो पहले पुलिस विभाग के अधीन था, अब शासनादेश संख्या 2303/VIII-2-10 (10) 74 दिनांकित 27.3.1974 के द्वारा गृह विभाग के अधीन कर दिया गया है। इस संबंध में प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत किया गया है। पैरा 39 में केवल यह उपबंध शेष रखा गया है कि न्यायालय में तैनात सभी पुलिसकर्मी लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होंगे।

अध्याय 4 क्षेत्र-निरीक्षक

पैरा 40 से 42 क्षेत्र निरीक्षक से संबंधित है। विवेचना का पर्यवेक्षण और अपराधों की रोकथाम करना उसका प्राथमिक कर्त्तव्य है (पैरा 40) और पैरा 41 में उसके विशेष कर्त्तव्य वर्णित हैं जो उसके पदीय कर्त्तव्यों से संबंधित है। पैरा 42 के अनुसार महानिरीक्षक क्षेत्र निरीक्षकों के उत्तरदायित्वों में कमी कर सकता है।

अध्याय 5 उप-निरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी

पैरा 43 से 64 में उप-निरीक्षक तथा पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी के संबंध में नियम वर्णित हैं जिनमें थाने का भारसाधक अधिकारी, जो एक उप-निरीक्षक होता है (पैरा 43), अधीनस्थ उप-निरीक्षक, जो थाने का द्वितीय अधिकारी होता है (पैरा 51), प्रधान कांस्टेबिल अर्थात थाने का लेखक या हेड मुहर्रिर (पैरा 55), चौकी का भारसाधक हेड कांस्टेबिल (पैरा 58) और आरक्षी अर्थात कांस्टेबिल (पैरा 61) मुख्य पुलिसकर्मियों का उल्लेख किया गया है। अध्याय के शेष पैराओं में उपर्युक्त पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के पदीय-कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

अध्याय 6 सशस्त्र पुलिस

पैरा 65 से 72 सशस्त्र पुलिस से संबंधित है। पैरा 65 के अनुसार, सशस्त्र पुलिस खजाने, तहसीलों और हवालात की रक्षा के लिए, तिजोरी, बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए, आयुधागार तथा पुलिस गार्द आवास गृह की सेवा के लिए और अव्यवस्था और हिंसा के अपराध को दबाने या रोकने के लिए तथा खतरनाक अपराधियों का पीछा करने और पकड़ने के लिए इष्टकर है। बल की यह शाखा उप-महानिरीक्षकों के विशिष्ट नियंत्रण के अंतर्गत है जो इस बात के लिए उत्तरदायी है कि अधीक्षक अनुशासन और दक्षता बनाए रखते हैं। सशस्त्र पुलिस बल क्रमशः उप-निरीक्षक (पैरा 66) एवं प्रधान आरक्षी (पैरा 67) के अधीन अपना कर्त्तव्य निर्वहन करता है।

दंगा या बल्वा के अवसर पर मजिस्ट्रेट को अपना आदेश नायकत्व (Command) कर रहे पुलिस अधिकारी के माध्यम से सूचित करना चाहिए (पैरा 68)। पैरा 69 में महत्त्वपूर्ण जुलूसों और धार्मिक उत्सवों के अवसर पर मुख्यालयों में तैनात सशस्त्र पुलिस के संबंध में दिशा-निर्देश का उल्लेख है।

पैरा 70 में पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल का प्रयोग किए जाने के संबंध में सामान्य अनुदेश का नियम निम्नवत व्यक्त किया गया है:

(i) खण्ड क विधिक प्राधिकारी- ऐसा जमाव (भीड़) जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत अवैध जमाव नहीं किंतु उससे लोक प्रशांति में बाधा कारित होने की संभावना हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 (विशेषतः धारा 46 तथा 49) तथा अध्याय 10 विशेषतः धारा 129 के उपबंध लागू होंगे। तद्नुसार थाना का कोई भारसाधक अधिकारी या उससे अधिक ऊंची पंक्ति का कोई अधिकारी, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार से स्वाधीन यह शक्ति रखता है कि वह ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए जमाव से बिखर जाने को कहे और उसे बिखेरने के लिए बल को उपयोग करे।

(ii) खण्ड ख मजिस्ट्रेट की उपस्थिति/अनुपस्थिति होने पर- यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित है अथवा उसे शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जा सकता है, तब उसकी आज्ञा से और ऐसा साध्य न होने पर उपस्थित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या उसके उच्च अधिकारी के आदेश से जमाव को तितर-बितर करने या बल प्रयोग करने का कदम उठाया जा सकेगा किंतु द्वितीय स्थिति में यथासंभव शीघ्र ही निकटस्थ मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचना और प्रतिवेदन करना होगा।

(iii) खण्ड ग बल प्रयोग को शासित करने वाले मुख्य सिद्धांत- किसी भी प्रकार के बल प्रयोग को शासित करने वाले मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं-

1. मजिस्ट्रेट यदि उपस्थित है, पुलिस अधिकारी को पूर्ण सहयोग करेगा।
2. भीड़ को तितर-बितर करने का आदेश दिए जाने से पूर्व चेतावनियां देने और प्रबोधन के सारे प्रयत्न किए जाएंगे।
3. आदेश की अवज्ञा पर ही बल प्रयोग किया जाए।
4. यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो बल प्रयोग का दायित्व उसी पर होगा अन्यथा (उपस्थित) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर।
5. अपेक्षित न्यूनतम बल प्रयोग का विनिश्चय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर सकेगा।
6. प्रयोग किए गए बल का प्रकार और अवधि का विनिश्चय उपखंड 7 के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
7. उद्देश्य पूर्ति के बाद बल प्रयोग बंद हो जाना चाहिए।

(iv) खण्ड घ आग्नेयास्त्र के प्रयोग को शासित करने वाले नियम -

1. गोली केवल तब ही चलाई जाएगी जब मजिस्ट्रेट उपस्थित है और यदि उपस्थित नहीं है तब उस समय जब भारसाधक पुलिस अधिकारी पूर्ण रूप से आवश्यक समझता है कि प्राण अथवा सम्पत्ति की रक्षा के लिए गोली चलाई जाए।
2. यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो गोली चलाने का आदेश देने का उत्तरदायित्व उसी पर होगा और वह उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को गोली चलाने का निर्देश देगा।
3. उपस्थित मजिस्ट्रेट गोली चलाने का आदेश देने के साथ चक्र की संख्या निर्धारित करेगा जिसके उपयोग का स्वविवेक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी पर होगा।
4. ज्यों ही भीड़ हट जाने या तितर-बितर हो जाने की प्रवृत्ति दर्शित करे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गोली चलाना बंद करने का आदेश देगा।

(v) खण्ड ङ पुलिस अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन कि कब आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाए?

आग्नेयास्त्र का प्रयोग अति आवश्यक हो जाने पर सर्वप्रथम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सशस्त्र पुलिस को तैयार रहने को कहेगा। आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने का आदेश (फायरिंग) तथा उद्देश्यपूर्ति हो जाने पर गोली मत चलाओ, गोली निकालो (Stop Firing, Unload) का ओदश दिया जाएगा। गोली नीचे की ओर या भीड़ के सिर के ऊपर की ओर चलाई जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में अविवेकपूर्ण गोली चलाने अथवा स्वतंत्र कार्यवाही करने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए।

पैरा 71 के अनुसार, अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस की मांग आवश्यकता पड़ने के 6 सप्ताह पहले महानिरीक्षक से की जानी चाहिए। राज्यपाल के यहां आरक्षी सशस्त्र पुलिस की अर्दली ड्यूटी पैरा 72 के अनुसार लगाई जाती है।

अध्याय 7 सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व

पैरा 73 से 78 के अंतर्गत सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व के संबंध में नियम विहित किए गए हैं।

अध्याय 8 घुड़सवार पुलिस एवं ग्राम पुलिस

उ.प्र. पुलिस विनियम का पैरा 79 से 88 घुड़सवार पुलिस की व्यवस्था से संबंधित है। पैरा 79 के घुड़सवार पुलिस के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं-

1. सड़कों पर गश्त लगाना।
2. कैदियों और कोषों की मार्ग रक्षा करना।
3. अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाएं ले जाना।
4. अपराधियों का पीछा करना।
5. सुनियोजित डकैती तथा अन्य उपद्रवों का दमन करना।
6. उत्सवों में मार्ग रक्षा करना।
7. यातायात नियंत्रण के कर्त्तव्य।

राजस्व परिषद के सदस्यों में से प्रत्येक जब वे मैदानी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हों और आयुक्त जब वे मंडल में भ्रमण पर हों, दो घुड़सवार अर्दली उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस अध्याय के अन्य पैराओं में मुख्यालय पर स्थित घुड़सवार पुलिस दल के कर्त्तव्य (पैरा 80), इसके उपनिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी के कर्त्तव्य (पैरा 81), प्रतिसार निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के कर्त्तव्य (पैरा 82), अधीक्षक द्वारा अश्वारोही दल का निरीक्षण (पैरा 83), घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण (पैरा 84), घुड़सवार पुलिस को स्काउट शिक्षा का प्रशिक्षण (पैरा 85), आरक्षी की पदोन्नति (पैरा 86) एवं घोड़ों के प्रशिक्षण (पैरा 87 एवं 88) से संबंधित नियम वर्णित हैं।

अध्याय 9 ग्राम पुलिस

विनियम का अध्याय 9 ग्राम पुलिस से संबंधित है जिसे इस अध्याय में ग्राम चौकीदार के रूप में अभिहित किया गया है। पैरा 89 के अनुसार ग्राम चौकीदार ग्राम का सेवक है जिसका मुख्य कार्य अपने कार्यभार के अधीन गांव की चौकी पर पहरा देना है। वह अपने कार्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। उसे सामान्यतया उसी गांव में रहना चाहिए जिसके लिए वह उत्तरदायी है (पैरा 90)। उसे **जन्म-मृत्यु की सूचना देने के लिए महीने में दो बार अपने थाने में उपस्थित होना अनिवार्य है,** जिनमें से एक तारीख पर उसे उसका वेतन दिया जाएगा (पैरा 91)।

पैरा 92 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पुलिस मैन को एक अपराध अभिलेख पुस्तिका,एक हाजिरी बोर्ड (लकड़ी का बना हुआ) और एक मुद्रित जन्म-मृत्यु रजिस्टर प्रदान किया जाता है जिस पर वह अपना कर्त्तव्य निर्वहन अध्याय 12, 20 एवं 25 के अनुसार करेगा। पुलिस के मार्गरक्षक कर्त्तव्य में सहायता करना (पैरा 93) 9 संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी गई सम्पत्ति की सूची बनाना (पैरा 95) भी ग्राम पुलिस का कर्त्तव्य है।

पैरा 94 में शिविरों की चौकसी तथा पहरेदारी हेतु चौकीदार की आपूर्ति से संबंधित नियम वर्णित हैं। ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति पैरा 96 के अनुसार निम्नवत की जाती है-

(1) ग्राम चौकीदार की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उ.प्र. गांव और सड़कों की पुलिस (चौकीदार) अधिनियम,1973 की धारा 3 से 6 के अधीन अथवा अवध विधि अधिनियम,1876 की धारा 29 से 32 के अधीन की जाएगी।

इनकी पदच्युति मजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जा सकेगी और वे अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1873 की धारा 11 या अधिनियम संख्या 1876 की धारा 37 के अधीन अभियोजन के दायित्वाधीन होंगे।

(2) ग्राम चौकीदार को प्रदत्त पुरस्कार व भत्ते पैरा 476 (v) के अनुसार वापस लिए जा सकते हैं।

पैरा 96-क के अनुसार किसी ग्राम चौकीदार के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्यवाही संस्थित किए जाने पर पैरा 501 के अधीन राज्य के व्यय पर उसका बचाव किया जाएगा।

भाग II विशेष कर्तव्य

अध्याय 10 थानों में की गई रिपोर्टें

उ.प्र. पुलिस विनियम का भाग II, जिसमें पुलिस के विशेष कर्त्तव्यों का उल्लेख है, के अध्याय 10 पैरा 97 से 103 के अंतर्गत थानों में की गई रिपोर्टों से संबंधित है। यहाँ रिपोर्ट का तात्पर्य पुलिस थाने में दी गई किसी अपराध की सूचना से है जिसे सामान्यतः प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) कहा जाता है।

संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट - पैरा 97 में संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के सामान्य नियम वर्णित किए गए हैं। इसमें इस संदर्भ में निम्नलिखित नियम विहित किए हैं-

(i) जब कभी किसी संज्ञेय अपराध कारित किए जाने की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाए तो उसे तत्काल चेक रसीद बुक (पुलिस फार्म संख्या 341) में तीन प्रतियों में लिखी जाएगी भले ही सूचना असत्य प्रतीत होती हो।

(ii) यदि सूचना मौखिक रूप में दी गई है तो व्यक्ति की सूचना उसके कथनों के अनुसार ज्यों का त्यों और यदि प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर लिखने के बाद उसे पढ़कर शिकायत-कर्त्ता को सुनाया जाना चाहिए और लेख के तीनों भागों पर उसका हस्ताक्षर/अंगूठा छाप/निशान लिया जाना चाहिए।

(iii) यदि सूचना लिखित है तब उस पर उसका हस्ताक्षर लिया जाना आवश्यक नहीं है।

(iv) तीनों प्रतियों पर थाने के प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर एवं थाने की मुहर लगाई जानी चाहिए।

(v) मूल प्रति सूचना लेख के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। द्वितीय प्रति सूचनादाता को दी जाएगी तथा तीसरी प्रति पुस्तिका में संलग्न रहेगी।

(vi) प्रथम सूचना रिपोर्टों को देर करके भेजने का अभ्यास दण्ड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्थाओं के विपरीत तथा वर्जित है।

(vii) सभी प्रविष्टियों एवं रिपोर्टों को स्पष्ट तथा पठनीय रूप में लिखा जाना चाहिए (पैरा 94)।

(viii) ज्यों ही रिपोर्ट प्रथम सूचना पुस्तिका में लिखी जा रही हो तो रिपोर्ट का सार (मुकदमे की कायमी) जनरल डायरी में संक्षेप में तुरंत किया जाना चाहिए भले ही रिपोर्ट रात्रि में मिली हो।

शेष रजिस्टरों अर्थात ग्राम अपराध नोट बुक, अपराध पंजिका तथा सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टि 24 घंटे के भीतर लिखा जाना चाहिए, यदि रिपोर्ट के परिणामस्वरूप प्रविष्टियां अपेक्षित हों (पैरा 99)।

(IX) यदि थाने का प्रभारी अधिकारी संज्ञेय अपराध की मौखिक रिपोर्ट उस समय प्राप्त करता है जबकि वह थाने से बाहर हो और तुरंत अन्वेषण करना चाहता हो तथा जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट की है उसकी उपस्थिति अलग न की जा सकती हो तो उसे रिपोर्ट लिखित रूप में लेनी चाहिए तथा उस व्यक्ति ने जिसने मामले की रिपोर्ट की है, उसका हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लेने के बाद उसे लिखित रूप में व्यवहार किए जाने के लिए पुलिस थाने भेज देना चाहिए (पैरा 100)।

अपराध की विशेष सूचना- पैरा 101 में कुछ विशिष्ट अपराधों की सूचना भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है। इन अपराधों की सूचना तत्काल **लाल लिफाफे** में यथाशीघ्र या तो डाक द्वारा या हाथों-हाथ अथवा दूरभाष या तार, यदि उपलब्ध हो, के द्वारा अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा मण्डल निरीक्षक को भेजी जानी चाहिए। जिन अपराधों की विशेष सूचना इस प्रकार भेजी जानी है, वे निम्नलिखित हैं-

1. डकैती
2. लूट, तुच्छ मामलों के सिवाय जैसे कान की बाली छिनना।
3. पुलिस के द्वारा यातना देना।
4. पुलिस की अभिरक्षा से निकलकर भाग जाना।
5. कूटरचित करेंसी नोट बनाना।
6. कूटकृत सिक्कों को बनाना।

7. सार्वजनिक धन का गंभीरता से हड़पा जाना जिसमें नोटों और पत्रों की हुण्डियों की चोरी भी शामिल है।
8. हत्या, बलवा, सेंध लगाना तथा चोरी, विभिन्न वर्गों, संप्रदायों या राजनीतिक दलों के बीच शांति भंग होने के महत्त्वपूर्ण मामले तथा विशेष सार्वजनिक महत्त्व के अन्य मामले।
9. स्वचालित हथियारों से कारित अपराध। (विशेष महानिदेशक पुलिस (अपराध एवं कानून व्यवस्था), लखनऊ के पत्रांक अ. शा. पत्र सं०-डी.जी. माफिया प्राधि. सेल -7/201 दिनांक 8.5.2011 के अनुसार सूचना नियत प्राधिकारी को।
10. बलात्कार के मामले (नवीनतम शासनादेश)।
11. मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा या उससे अधिक मात्रा में हुई बरामदगी के प्रकरणों में पंजीकृत अभियोग की सूचना नियत प्राधिकारी को।

असंज्ञेय अपराध की सूचना अंकित करने का नियम पैरा 102 में वर्णित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए-

(i) जब असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की जाए तो उस अपराध की रिपोर्ट नियंत्रण पुस्तिका (चेक बुक) अर्थात पुलिस फार्म संख्या 347 में की जानी चाहिए।
(ii) सूचना देने वाले से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह दोनों प्रतियों में से प्रत्येक में अपना हस्ताक्षर करे अथवा अंगूठा निशान लगाए।
(iii) मूल प्रति को चेक बुक में रहने दिया जाए और दूसरी प्रति सूचनादाता को दे दी जाए।
(iv) रिपोर्ट का सारांश जनरल डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि सूचना लिखित में हो तो पत्र को डायरी से संलग्न किया जाना चाहिए।
(v) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 के यथानुरूप सूचनादाता को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निदेश दिया जाना चाहिए।

पैरा 103 यह अपेक्षा करता है कि सूचनाओं को शुद्धता से लिखने का और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने का थाने के भार-साधक अधिकारी का उत्तरदायित्व है चाहे सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित हो या असंज्ञेय अपराध से।

अध्याय 11 अन्वेषण

संज्ञेय अपराध में अन्वेषण- विनियम का पैरा 104 से 128 अन्वेषण से संबंधित है। पैरा 104 में संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर थाने के भारसाधक अधिकारी के अन्वेषण करने के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार जब संज्ञेय अपराध की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है तब सर्वप्रथम थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निश्चय करना होता है कि क्या कोई अन्वेषण वांछनीय है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) (ख) द्वारा अनुमति प्राप्त निर्देशों का प्रयोग करने में उसे यह विचार करना चाहिए कि क्या मामला दण्ड न्यायालय की अपेक्षा दीवानी न्यायालय का है और क्या पुलिस कार्यवाही प्रशासन के हित में आवश्यक तथा कानून और व्यवस्था के लिए इष्टकर है।

पैरा 104 के अनुसार, निम्नलिखित मामलों में अन्वेषण नहीं किया जाना चाहिए-

(i) यदि शिकायत का विषय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 95 की सीमा के अंतर्गत आता है; अथवा
(ii) शिकायतकर्त्ता प्राविधिक अपराध की स्थापना करता हुआ जान पड़ता है; अथवा
(iii) किसी अपराध को अभियोजित करने में पुलिस की सहायता प्राप्त करने के लिए किसी मामूली घटना का अतिशयोक्ति रूप से वर्णन किया गया है।

इसी प्रकार निम्नलिखित मामलों में पुलिस अधीक्षक अथवा उप महानिरीक्षक की सहमति प्राप्त होने पर ही अन्वेषण किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं-

(1) मामूली चोरी या सेंध के मामलों में, जब तक कि मामले में व्यावसायिक अपराधी संबंधित न हो, अथवा अपराधी गिरफ्तार किया जा चुका है तथा परिवादी अभियोजन चाहता है।
(2) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 तथा 325 के अधीन मामले।
(3) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अधीन मामले, जब तक गंभीर चोट कारित न हुई हो अथवा शांति का और भी गंभीर भंग होने का खतरा न हो।

(4) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 से 344 (रिपोर्ट तक अवरोध बना रहने पर), धारा 354, 447 तथा 448 के अंतर्गत मामले।

(5) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 तथा 420 के अंतर्गत आने वाले मामले, जब प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि मामला दीवानी प्रकृति का है।

पैरा 104 के नोट के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 और 308 के अधीन पंजीकृत मामलों में पुलिस अधीक्षक के आदेश अथवा चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अन्वेषण किया जा सकता है।

संज्ञेय मामलों में अन्वेषण न किए जाने की स्थिति में थाने का प्रभारी अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (2) के अनुपालन में ऐसा न करने का कारण एफ.आई.आर. प्रति पर दर्ज करेगा (पैरा 105) । सामान्यतया विवेचना घटनास्थल पर ही पूर्ण की जाएगी सिवाय दं. प्र. सं. की धारा 157 (1) (क) के मामले के (पैरा 106)।

पैरा 107 में अन्वेषण अधिकारी के कर्त्तव्य विहित हैं जिसके अनुसार अन्वेषण दक्षतापूर्ण अवलोकन के साथ अपराध एवं अपराधी की खोजपरक प्रवृत्ति से किया जाना चाहिए तथा अभियुक्त के बचाव साक्ष्य को भी इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

केस डायरी- पैरा 108 के अनुसार, केस डायरी में प्रविष्टि करना अन्वेषण अधिकारी का पहला कर्त्तव्य है। यद्यपि केस डायरी में अपेक्षित विशिष्टियों को विस्तृत रूप में लिखा जाना आवश्यक है किंतु दं. प्र. सं. की धारा 161 के अंतर्गत परीक्षा के क्रम में उसके समक्ष किए गए किसी बयान को लिखने के लिए अन्वेषण अधिकारी बाध्य नहीं है। यदि वह लिखा जाता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में लिपिबद्ध किया जाएगा (पैरा 109)।

निरंजन सिंह बनाम उ. प्र. राज्य AIR 1957 SC 142 में यह अवधारित किया गया कि पैरा 109 की पृष्ठभूमि में कोई विधिक नींव नहीं है बल्कि यह अन्वेषण के लिए प्रशासनिक निर्देश है।

पैरा 110 के अनुसार अन्वेषणकर्त्ता अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत अपने सद्विवेक पर गिरफ्तार कर सकता है किंतु बिना उसे गिरफ्तार किए हुए उसके आने-जाने पर रोक नहीं लगा सकता है और न ही उसे विवश कर सकता है कि वह साक्षी के रूप में उपस्थित रहे।

पैरा 111 में किसी बंद स्थान की तलाशी प्रक्रिया वर्णित है जिसके अनुसार तलाशी करने वाला पुलिस अधिकारी परिसर के मालिक को आश्वस्त करेगा कि तलाशी दल के किसी भी व्यक्ति के पास उसे फंसाने वाली कोई चीज नहीं है। सामान्यतया विधिक अनुपालन के साथ तलाशी दिन या रात्रि में ली जा सकती है किंतु कुछ मामलों में तलाशी केवल दिन में ही ली जा सकती है। पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति को **अनावश्यक परेशान नहीं** किया जाएगा (पैरा 112)।

पैरा 113 में लोक सेवकों आदि के अभियुक्त अथवा साक्षी होने पर जांच की प्रक्रिया का उल्लेख है जिसमें विहित किया गया है कि ऐसे मामलों में अन्वेषण इस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए कि उनके पदीय कर्त्तव्य में यथासंभव कम हस्तक्षेप हो और आवश्यकता पड़ने पर उनके वरिष्ठ अधिकारी से उनके लिए अवकाश लिए जाने का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

घटनास्थल का नक्शा नजरी - पैरा 114 के अनुसार, अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का एक नक्शा हत्या, डकैती अथवा अन्य मामलों के साथ महत्त्वपूर्ण सेंध के मामलों में अन्वेषण अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यदि वह असमर्थ है तो ऐसा चित्र एक पटवारी (लेखपाल) के द्वारा तैयार कराया जाना चाहिए जिस पर उसका हस्ताक्षर भी हो।

मृत्युकालीन कथन का अभिलेखन- आपातकालीन मामलों जिसमें कोई व्यक्ति इतने भयानक रूप से आहत हो कि अस्पताल में पहुंचने के पूर्व ही उसकी मृत्यु संभाव्य है तब यदि उसकी मृत्युकालीन घोषणा लेखबद्ध की जा सकती है तो अन्वेषण अधिकारी तत्काल दो सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में उसकी मृत्युकालीन घोषणा लिपिबद्ध करेगा और घोषणापत्र के पृष्ठ भाग में घोषणाकर्त्ता तथा साक्षियों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान प्राप्त करेगा (पैरा 115)।

अपराधी की शिनाख्त- अपराधी व्यक्ति के शिनाख्त संबंधी नियम पैरा 116 में वर्णित हैं जिसके अनुसार, शिनाख्त के लिए पहचान परेड की संभावना होने पर अन्वेषण अधिकारी निम्न नियमों का अनुसरण करेगा-

(i) संदिग्ध व्यक्ति और उसकी पहचान करने वाले साक्षियों को ऐसी स्थिति में रखा जाएगा कि पहचान परेड से पूर्व साक्षियों को देखने का अवसर न मिले।

(ii) कार्यवाहियां जेल मैन्यूअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर्स के अनुरूप न हो पाने पर स्थगित कर दी जाएं, जिसके अवलोकन के लिए लोक अभियोजक उत्तरदायी होगा।

(iii) यदि पहचान परेड जेल में संभव नहीं है तो उसे अन्यत्र मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अथवा मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दो सम्मानित तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के समक्ष व राजपत्रित पुलिस अधिकारी के समक्ष किया जाना चाहिए।

(iv) संदिग्ध व्यक्ति से प्राप्त वस्तुओं की शिनाख्त में भी उपर्युक्त उपखंड (i) का अनुपालन किया जाना चाहिए (पैरा 117)।

पैरा 118 के अनुसार विकृतचित्त अपराधी के पागलपन का अवधारण न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। उसके मस्तिष्क की दशा डायरी में लिखी जानी चाहिए।

संस्वीकृति अभिलेखन- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति को मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया जाएगा (पैरा 119)। पुलिस अभिरक्षा में कोई संस्वीकृति अभिलेखन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कोई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या स्थानीय सरकार द्वारा प्राधिकृत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट प्राधिकृत हैं।

डकैती के मामलों में संस्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट अथवा संयुक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित की जाएगी (पैरा 120)।

पुलिस रिमांड- पैरा 121 के अनुसार, पुलिस अभिरक्षा में वापस (Remand) तब तक नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक कि-

(i) प्रार्थना पत्र देने वाला अधिकारी निश्चित और संतोषजनक आधार दर्शित करने में समर्थ न हो।

(ii) अभिरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक अथवा उपखंड के राजपत्रित पुलिस प्रभारी अधिकारी के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

(iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 द्वारा अपेक्षित दर्जे के मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र संबोधित हो।

आरोप-पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट - आरोप-पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट अन्वेषण प्रक्रिया की अंतिम कड़ी होती है। इस संबंध में पैरा 122 में निम्न नियम विहित किए गए हैं-

(i) (क) अन्वेषण यथासंभव शीघ्र पूर्ण करना चाहिए।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 से 171 तथा 173 का अनुपालन करते हुए धारा 173 द्वारा नियत प्रतिवेदन पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक की जानकारी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) आरोप - पत्र नियत प्रारूप (पुलिस फार्म संख्या 339) में होना चाहिए यदि मामला विचारण हेतु हो अन्यथा उसे फार्म संख्या 340 में होना चाहिए।

(घ) इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से समन व वारण्ट मामलों में 4 सप्ताह में तथा सेशन मामलों में 8 सप्ताह के अंदर न्यायालय में पहुंचना चाहिए।

(ii) उपर्युक्त समय-सीमा में विलंब की सूचना नियत वरिष्ठ अधिकारियों को नियत तरीके से दी जानी चाहिए।

(iii) सभी मामलों में अंतिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(iv) अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को दी जानी चाहिए।

(v) पूर्व दोष सिद्धि का उल्लेख आरोप-पत्र के स्तंभ 7 में दिया जाना चाहिए (पैरा 123)।

मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाना - पैरा 124 के अनुसार, जब कभी दं. प्र. सं. की धारा 190 (क) के अंतर्गत संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध का संज्ञान लिया गया है और धारा 202 के अधीन मामला अन्वेषण के लिए भेजा गया है तो पुलिस अधीक्षक या उपखंड का राजपत्रित अधिकारी उपयुक्त संहिता की धारा 200 और 202 का अवलोकन सुनिश्चित करेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 200 या 202 का अनुपालन न करने पर प्रक्रिया अवैध हो जाएगी।

पैरा 125 में पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण किया जाना, पैरा 126 में अन्वेषण अधिकारियों के कार्यों का किसी सांख्यिकीय परीक्षा के आधार पर विश्लेषण न किया जाना, पैरा 127 में पुलिस के समक्ष डाक विभाग का अभिलेख प्रस्तुत किया जाना तथा पैरा 128 में रेलवे की मालगाड़ी से वस्तुओं की व्यापक चोरी की घटना पर कार्यवाही किए जाने से संबंधित नियम विहित किए गए हैं।

अध्याय 12 मृत्यु समीक्षा, मरणोत्तर शव-परीक्षा तथा घायल व्यक्तियों की चिकित्सा

इस अध्याय के विनियम पैरा 129 से 146 में वर्णित हैं। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के निम्नलिखित नियम नियत हैं-

चौकीदार का कर्त्तव्य- पैरा 129 के अनुसार, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अंतर्गत प्रत्येक चौकीदार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गांव-क्षेत्र में हुई किसी अप्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की या किसी लाश की सूचना पुलिस थाने को दे और ऐसी सूचना पर अन्वेषण के लिए सशक्त पुलिस अधिकारी को दं. प्र. सं. की धारा 174 के अंतर्गत कार्यवाही शीघ्र करनी चाहिए। (पैरा 130 को निरस्त कर दिया गया है)।

पंचायतनामा एवं मरणोत्तर शव-परीक्षा - पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस निमित्त चयनित प्रत्येक उपनिरीक्षक और प्रधान सिपाही धारा 174 के अंतर्गत जांच (मृत्यु समीक्षा) करने के लिए सशक्त हैं (पैरा 131)। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (पंचायतनामा) फार्म संख्या 211 में होना चाहिए। यदि मृत्यु स्वाभाविक है तो इस हेतु केस डायरी का प्रयोग किया जा सकता है (पैरा 132)। पंचायतनामा का उद्देश्य मृत्यु के कारणों का पता लगाना होता है।

यदि मृत्यु संज्ञेय अपराध के कारण विदित है या संदिग्ध है या अन्वेषण अधिकारी ऐसा करना उचित समझे तो वह शव को मरणोत्तर शव-परीक्षा (पोस्टमार्टम) के लिए भेजेगा (पैरा 134)। यदि शव की पहचान नहीं हो सकी है तब लाश की अंगुलियों के निशान तलाशी **स्लिप फार्म** पर अन्य मामलों में **सर्च स्लिप** पर लेना चाहिए और उसे **फिंगर प्रिंट ब्यूरो** के पास भेजा जाना चाहिए। **विशेष परिस्थितियों में शव की अंगुलियों को भी संरक्षित करवाया जा सकता है।**

शव का कोई दावेदार नहीं मिलने पर उसकी अंत्येष्टि उसके धर्म की रीतियों के अनुसार उसके पहचान हेतु सम्यक् प्रचार/विज्ञापन के तथा शव के पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा (पैरा 135 क)।

पैरा 136 के पांच खंडों में उन निर्देशों का उल्लेख किया गया है जो शवों/घायल व्यक्तियों की परीक्षा में चिकित्साधिकारी के लिए सहायता हेतु आवश्यक कार्य अन्वेषण अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। मृत शरीरों की परीक्षा के लिए उन्हें परिशिष्ट 5 के नियत स्थलों अथवा जिले के प्रधान कार्यालय को भेजा जाना चाहिए (पैरा 137)।

मरणोत्तर परीक्षा की आवश्यकता का विनिश्चय पुलिस अधीक्षक करेगा (पैरा 138), पैरा 139 में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया उल्लेखित है जो लगभग 9 चरणों में पूर्ण होगी तथा अनावश्यक ऐसे प्रयास को रोकेगा (पैरा 140)। पैरा 141 के अनुसार लोक अभियोजक सिविल सर्जन को परीक्षा के लिए कोई वस्तु या पदार्थ भेजते हुए उससे सीधे-सीधे पत्र व्यवहार करेगा।

पैरा 139 में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, पैरा 142 में सिविल सर्जन को कोई वस्तु या पदार्थ परीक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया तथा पैरा 143 में घायल व्यक्तियों को चिकित्सार्थ चिकित्सालय भेजने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट -पैरा 144 के अनुसार, चिकित्साधिकारी चोट की या शव परीक्षा की रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार करेगा। प्रथम प्रति पुलिस अधीक्षक को, द्वितीय प्रति शव के साथ आए कांस्टेबिल को दी जाएगी तथा तृतीय प्रति स्वयं कार्यालय प्रति के रूप में रखी जाएगी।

पैरा 145 के अनुसार, शव परीक्षा के बाद शव को जालीदार बक्से में ले जाया जाएगा और घायल को घिरे हुए स्ट्रेचर (आवरणयुक्त स्ट्रेचर) में।

किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध चिकित्सकीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए (पैरा 146)।

अध्याय 13 गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा

गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित प्रक्रिया-नियम पैरा 147 से 164 में वर्णित हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

(i) बिना वारण्ट गिरफ्तारी प्रक्रिया- पैरा 147 के अनुसार दं. प्र. सं. की धारा 41 (1) के अंतर्गत गिरफ्तारी करने के लिए कोई सशक्त पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम में अनुक्रमांकित किसी अन्य पुलिस अधिकारी को सूचित करके गिरफ्तारी करवा सकता है। सूचना के लिए तार-संदेश पर्याप्त होगा। इस शक्ति का प्रयोग दं. प्र. सं की धारा 55 के अंतर्गत भी किया जा सकेगा।

(ii) लोक सभा/विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी प्रक्रिया- पैरा 147-क के अनुसार-

(i) ऐसे सदस्यों की विधितः गिरफ्तारी, कारावासित अथवा अवरुद्ध किए जाने पर उपर्युक्त बातों की सूचना निर्धारित प्रारूप में तत्काल कारण व स्थान दर्शित करते हुए स्पीकर को दी जाएगी और यदि जमानत पर छोड़ दिया गया है तब भी। यही प्रक्रिया राज्य सभा/विधान परिषद के सदस्यों पर भी लागू होगी। ऐसा किया जाना संबंधित जिले के पुलिस अधिकारी का कर्त्तव्य होगा।

(ii) यदि गिरफ्तारी किसी मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश अथवा कार्यपालक प्राधिकारी के आदेश के बिना किसी संज्ञेय अपराध अथवा शांति भंग के लिए की जाती है तो पैरा 101 के अनुसार सूचना पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए जो तार संदेश द्वारा स्पीकर को सूचित करेंगे और विशेष विवरण डाक द्वारा प्रेषित करेंगे।

(iii) यदि गिरफ्तारी वारण्ट के निष्पादन में की जाती है तो भी सूचना दं. प्र. सं. की धारा 81 के अधीन अग्रसारित की जानी चाहिए।

(iv) गिरफ्तार सदस्य के स्थानांतरण की सूचना भी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से की जानी चाहिए।

(v) यदि गिरफ्तारी या निरोध की सूचना तार या रेडियोग्राम से दी जाए तो नियत फार्म में सारगर्भित सूचनाएं दी जानी चाहिए।

(vi) स्पीकर की अनुमति के बिना सदन के प्रांगण से किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा न ही उस पर कोई दीवानी या आपराधिक वैध प्रादेशिका का तामील किया जाएगा।

(vii) किसी सिविल आदेशिका के अनुसरण में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135- क के अधीन गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 (3)/194 (3) के अर्थों में सदन की बैठक के 40 दिन पहले अथवा बाद की अवधि तक विस्तृत होगी।

अपराधियों का पीछा करना- कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराधी का पीछा भारत के किसी स्थान में कर सकता है, जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए वह सशक्त हो (पैरा 148)।

इसी प्रकार रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी इस प्रकार की जानी चाहिए कि उसका कार्य प्रभावित न हो (पैरा 149)। पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अधीन शक्ति का प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का नाम-पता ज्ञात हो। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति के लिए बांड भरवाया जाना चाहिए (पैरा 150)।

यदि गिरफ्तारी निजी व्यक्ति के द्वारा करके थाने लाया गया है तब उसे पुलिस थाने के प्रभारी के द्वारा या तो दं. प्र. सं. की धारा 43 के अधीन पुनः गिरफ्तार करना चाहिए या उसे छोड़ दिया जाना चाहिए (पैरा 151)।

गिरफ्तारी की प्रत्येक स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57, 167 एवं 58 का अनुपालन किया जाना चाहिए (पैरा 152)।

विवेचना एवं डायरी लेखन- पैरा 153 के अनुसार, अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति की पहले उससे पुलिस दुर्व्यवहार के विषय पर अन्वेषणाधिकारी को आश्वस्त होना चाहिए और प्रश्नोत्तर को केस डायरी में लिखा जाना चाहिए। कैदी पर पुलिस दुर्व्यवहार से संबंधित प्रश्नोत्तर को अन्वेषण डायरी में लिखा जाना चाहिए और यदि शरीर पर चिन्ह पाए गए हों तो शारीरिक परीक्षा करवाई जानी चाहिए और साक्ष्य व रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित करते हुए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाना चाहिए। अन्वेषण से भिन्न मामले की गिरफ्तारी में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी किंतु उसे सामान्य डायरी में अभिलिखित किया जाएगा (पैरा 154)।

गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 (1) में गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पुलिस से असंबद्ध दो साक्षियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए यदि वे उपलब्ध हों। प्राप्त सम्पत्ति को चिन्हित व दर्ज किया जाना चाहिए तथा तलाशियां प्रतिफल व एकांतता के साथ होनी चाहिए जैसा संभव हो। शरीर को अनुचित खुला रहने से बचाया जाना चाहिए (पैरा 154)।

हथकड़ियां और बेड़ियां लगाना- रूल्स फॉर गार्ड्स एंड स्कार्ट के निर्देश गिरफ्तार व्यक्ति, विचाराधीन कैदी व दोषसिद्ध कैदी को हथकड़िया व बेड़ियां लगाने में लागू होंगे। गिरफ्तार व्यक्ति को किसी अनावश्यक सख्ती या अमर्यादा का पात्र नहीं बनाया जाएगा।

हथकड़ी कैदी की कलाइयों के अनुरूप होनी चाहिए तथा उसकी कुंजी कैदी के प्रभारी पुलिस अधिकारी के **वक्ष - स्थल की जेब** में रखी जानी चाहिए। यात्रा सामान्यतया द्वितीय श्रेणी के रेलवे डिब्बे में की जाएगी। यदि कैदी सड़क या उच्च श्रेणी के रेल डिब्बे से यात्रा करना चाहता है तो उसे पूरा भाड़ा वहन करना पड़ेगा (पैरा 155)।

जमानत- पैरा 156 के अनुसार अन्वेषण अधिकारी या थाने का भारसाधक अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत पर दं. प्र. सं. की धारा 169 एवं अध्याय 33 के उपबंधों पर विचार करना चाहिए। यदि अभियुक्त अजमानती अपराध का अपराधी नहीं है, जमानत अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए। अन्वेषणाधिकारी धारा 169 के अंतर्गत जमानत नहीं ले सकता जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए पर्याप्त उचित संदेह या साक्ष्य न हो। अजमानती अपराध के मामलों में पुलिस थाने का प्रभारी दं. प्र. सं की धारा 437 के अनुसार ही जमानत स्वीकार करेगा।

अभिरक्षा - विनियम का पैरा 157 से 164 पुलिस अभिरक्षा में कैदियों को रखे जाने से संबंधित है। पुलिस थाने के हवालात में रखे गए बंदियों के रहने-खाने की व्यवस्था करना थाने के भारसाधक अधिकारी का प्राथमिक उत्तरदायित्व है जिसकी व्यवस्था अधीक्षक सुनिश्चित करेगा (पैरा 157) और उनकी संख्या का (पैरा 158) और खुराक का निर्धारण किया जाएगा (पैरा 159)। कैदियों को अनावश्यक रूप से पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जायेगा और मजिस्ट्रेट तथ्यों और परिस्थितियों में समुचित आदेश करेगा (पैरा 160)।

पैरा 161 के अनुसार थाने के प्रभारी अधिकारी का उत्तरदायित्व नियत है कि पागल व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ एक ही कोठरी में निरुद्ध न किया जाए। घर के नियंत्रण से बाहर की अथवा भटकी हुई अल्पवयस्क लड़कियों को पुलिस की अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्हें अस्पताल या औषधालय के महिला आवासों में भोजन पाने वाले रोगियों के रूप में अधिकतम 15 दिनों के लिए अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए (पैरा 162)। किशोरों के साथ रक्षक और अनुरक्षक नियमावली के अनुरूप संव्यवहार किया जाना चाहिए।

डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1998 (1) SCC 410 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो विधिक प्रावधानों/विनियमों के अतिरिक्त हैं तथा उनका अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारी विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ न्यायालय अवमानना का भी दोषी माना जा सकेगा और प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय ऐसी अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सशक्त होगा। इसका अनुपालन/ज्ञान सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस महानिदेशक, उ. प्र. ने पत्रांक डी. जी./ गा. प्र.-2/97 दिनांकित 29 मार्च, 1997 के द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों को प्रत्येक थाने के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करने का निर्देश भी जारी किया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं -

(1) गिरफ्तारी और पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मियों को अपनी वर्दी पर अपना नाम व पद की पट्टिका अवश्य धारित करनी चाहिए और उसका नाम रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए।

(2) व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय संबंधित पुलिस अधिकारी एक **फर्द (ज्ञापन)** तैयार करेगा जिसे कम से कम एक व्यक्ति/ गवाह के जो अभियुक्त के परिवार का सदस्य हो या उस क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति, द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उसे अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। फर्द पर गिरफ्तारी का समय तथा दिनांक स्पष्ट अंकित होना चाहिए।

(3) गिरफ्तारी या निरुद्ध किया गया अथवा पूछताछ के लिए किसी थाने में अभिरक्षा या हवालात में रखे गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि उसके किसी मित्र/रिश्तेदार/परिचित या शुभचिंतक को यथाशीघ्र सुलभ साधनों के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की सूचना भेजी जाए यदि गिरफ्तारी के समय उसका कोई संबंधी उपस्थित नहीं है।

(4) यदि गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार या मित्र जिले से बाहर रहते हैं तो उन्हें जिले के विधिक सहायता केंद्र एवं संबंधित थाने के वायरलेस/टेलीग्राफ के माध्यम से गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का स्थान, समय अंकित करते हुए सूचना दी जानी चाहिए।

(5) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय ही उसे सूचित कर दिया जाना चाहिए कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना किसी को दे सकता है। ऐसा किया जाना गिरफ्तार करने वाले कर्मचारी का दायित्व होगा।

(6) संबंधित थाने की डायरी में यह अंकित किया जाना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति के किस रिश्तेदार/ मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। उन पुलिसकर्मियों के नाम भी अंकित किए जाने चाहिए जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रखा गया है।

(7) यदि गिरफ्तार व्यक्ति आवेदन करता है कि उसके शरीर की प्रत्येक चोटों का निरीक्षण किया जाए तो उसका विवरण फर्द पर अंकित किया जाए और उस पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति, दोनों का हस्ताक्षर भी लिया जाएगा जिसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दे दी जाएगी।

(8) प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सकीय परीक्षण उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर अवश्य कराया जाए। इस निमित्त शासन से अनुरोध है कि वह महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा प्रत्येक जिले व तहसील स्तर पर ऐसे चिकित्सकों का पैनल तैयार करें जो ऐसे गिरफ्तार व्यक्तियों की जांच करे।

(9) गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेज, फर्द सहित संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जाएंगे।

(10) प्रत्येक राज्य मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया जाए जहां गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति व स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के द्वारा 12 घंटे के भीतर दी जाए और ऐसी सूचना मुख्यालय के दृश्य भाग पर एक नोटिस बोर्ड पर अंकित की जाएगी।

(11) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है किंतु यह सुविधा प्रत्येक और संपूर्ण पूछताछ के दौरान अनुमति योग्य नहीं होगी।

अध्याय 14 सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा निपटारा

इस अध्याय के अंतर्गत पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियों की अभिरक्षा और उनके निस्तारण से संबंधित नियम पैरा 165 से 173 में विहित किए गए हैं। पैरा 165 में सामान्य नियम वर्णित हैं जो निम्नवत हैं-

(i) सम्पत्ति की संक्षिप्त सूची जनरल डायरी में लिखी जाएगी और उसका थाने द्वारा तैयार किया हुआ उद्धरण मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा।

(ii) पशुधन के अतिरिक्त भारी सम्पत्ति उसी स्थान पर किसी क्षेत्रपति या अन्य सम्मानित व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ दी जाएगी जो उसे न्यायालय की अपेक्षा पर प्रस्तुत करेगा।

(iii) पशुधन पशुरोधालय रक्षक को सौंप दिए जाएंगे और उनके खान-पान व रख-रखाव का व्यय पशुधन के विक्रय से या उस व्यक्ति से जिसे न्यायालय के आदेश से उन्हें दिया जाय, वसूल किया जाएगा। यदि व्यय की भरपाई नहीं हो पाती है तो उसे अधीक्षक के संविदा-अनुदान से पूरा किया जाएगा।

(iv) निर्वसीयत मृत व्यक्ति की चल सम्पत्ति का विक्रय जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से नीलाम करके किया जाएगा, जिसे पहले मुख्यालय पर भेजा जायेगा व निस्तारण पैरा 172 के अनुसार, जिला जज के आदेश से किया जाएगा।

संपत्ति के अभिग्रहण के लिए प्रक्रिया वही होगी जो दं. प्र. सं. के अध्याय 34 की धारा 457, 458 एवं 459 में दिया गया है।